कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला बैतूल (म.प्र.)

:: विज्ञप्ति ::

बैतूल दिनांक 10.06.2020

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि बैतूल जिले में वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित 19 समूहों में विभाजित 30 देशी मदिरा एवं 25 विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का संचालन वर्ष 2020-21 की शेष अवधि हेतु पुनर्निष्पादन के बीच लगने वाली समयावधि के लिए वर्ष 2020-21 के लिए प्राप्त वार्षिक मूल्य के आधार पर एक दिन के आरक्षित मूल्य के विरुद्ध निविदा/ऑफर के माध्यम से निष्पादन कलेक्टर बैतूल की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा कलक्ट्रेट सभाकक्ष बैतूल में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 77 दिनांक 26 फरवरी 2020 एवं 170 दिनांक 23 मई 2020 में प्रकाशित की गई शर्तों एवं निबंधों के अधीन दिनांक 12 जून 2020 दिन शुक्रवार को टेण्डर के माध्यम से निष्पादित की जावेगी ।

टेण्डर प्रपत्र के विक्रय एवं जमा हेतु समय व दिनांक

1.	मदिरा दुकानों के टेण्डर प्रपत्र विक्रय का स्थान,तिथी एवं समय	जिला आबकारी अधिकारी,कार्यालय जिला बैतूल से दिनांक 10 जून 2020 एवं 11 जून की अवधि में कार्यालयनी समय तथा 12 जून 2020 को दोपहर 14:30 बजे तक।
2	भरे हुए टेण्डर प्रपत्र जमा करने का स्थान,तिथी एवं समय	जिला आबकारी अधिकारी,कार्यालय जिला बैतूल से दिनांक 12 जून 2020 को दोपहर 15:00 बजे तक।
3	टेण्डर प्रपत्र खोलकर निष्पादन की कार्यवाही का स्थान, तिथी एवं समय	कलक्ट्रेट सभाकक्ष बैतूल में 12 जून 2020 को दोपहर 15:00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक।

टेण्डर प्रपत्र का मूल्य प्रति एकल समूह रूपये 10000/-निर्धारित है । टेण्डर प्रपत्र का विक्रय जिला आबकारी अधिकारी,कार्यालय जिला बैतूल के पक्ष में सायबर ट्रेजरी जमा चालान के विरूद्ध किया जायेगा । इच्छुक व्यक्ति द्वारा उक्त मदिरा दुकानों का विवरण ,संबंधित नियमों आदि की जानकारी,आवेदन पत्र के संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों का विवरण आदि टेण्डर फार्म का निर्धारित शुल्क जमा कर जिला आबकारी अधिकारी,जिला बैतूल के कार्यालय से कार्यालयीन समय में एवं विभागीय बेवसाइट www.mpexcise.org एवं NIC बैतूल की बेवसाइट https://betul.nic.in से प्राप्त की जा सकेगी ।

(राकेश सिंह) 10/6/2020
कलेक्टर
जिला-बैतूल(म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक/आब/ठेका/2020-21/840 बैतूल दिनांक 10.06.2020

प्रतिलिपिः-

1 आबकारी आयुक्त म.प्र.ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2 आयुक्त ,जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश शासन बाणगंगा भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हिन्दी भाषा के प्रदेश स्तर के दैनिक समाचार पत्रों में कराने का कष्ट करें ।
3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,जिला पंचायत जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4 पुलिस अधीक्षक ,जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5 अपर आबकारी आयुक्त ,राज्य स्तरीय उड़नदस्ता भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
6 उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता ....की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7 सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी,जिला...............................की ओर सूचनार्थ ।
8 जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) बैतूल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को जिले के पोर्टल पर अपलोड करे ।
9 सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग बैतूल की ओर जिले के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
सहायक जिला आबकारी अधिकारी अधिकारी/आबकारी उप निरीक्षक वृत्त/मद्य भाण्डागार... ....जिला बैतूल की
10 ओर सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार -प्रसार हेतु ।
11 कार्यालय कलेक्टर बैतूल एवं जिला आबकारी अधिकारी ,बैतूल के सूचना पटल पर चस्पा हेतु ।

10/6/2020
कलेक्टर
जिला-बैतूल(म.प्र.)

Scanned by CamScanner